राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)
'एकलव्य भवन'
फोन : 0141–5150941, 2705067, फैक्स : 0141–2705067
Website: http://www.rsos.rajasthan.gov.in e-mail: rajasthansos@gmail.com

नव पंजीयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश
2015–2016

- 1 जुलाई, 2015 को 14 वर्ष पूर्ण होने पर ही 10वीं के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करें। जिनकी जन्मतिथि 01.07.2001 या इससे पूर्व की हो, वह प्रवेश के योग्य हैं।
- 1 जुलाई, 2015 को 15 वर्ष पूर्ण होने पर ही 12वीं के पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करें। जिनकी जन्मतिथि 01.07.2000 या इससे पूर्व की हो, वह प्रवेश के योग्य हैं।
- 10वीं कक्षा में प्रवेश के लिए राजकीय विद्यालय के नियमित अभ्यर्थी अपनी मूल टी.सी. की सत्यापित प्रति व राजस्थान राज्य के निजी विद्यालय के तथा राज्य से बाहर के अभ्यर्थी उस राज्य के इस हेतु सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित टी.सी. की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- जिन अभ्यर्थियों ने घर पर ही रखकर अध्ययन किया है उनका जन्मतिथि प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत या नगर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही माध्यमिक अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही 12वीं कक्षा हेतु आवेदन करें।
- क्रेडिट स्थानान्तरण (TOC) के लिये आर.एस.ओ.एस., बी.एस.ई.आर., सी.बी.एस.ई., एन.आई.ओ.एस., तथा अन्य राज्यों के एस.ओ.एस. को ही मान्यता दी जायेगी।
- अंकों में सुधार के लिये राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS) तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर (BSER) से मान्यता प्राप्त अन्य बोर्डों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के आगामी 1 वर्ष में 1 अवसर प्रदान किया जायेगा।
- 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका की सत्यापित प्रति तथा नियमित अभ्यर्थी टी.सी./माइग्रेशन की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
- पाठ्यक्रम के ग्रुप 'अ' व 'ब' में से किन्ही पाँच विषयों (टी.ओ.सी. सहित) में पंजीकरण करवायें।
- परीक्षा विषयों का चुनाव पंजीयन विषयों में से करें।
- दो से अधिक भाषाएं किसी भी स्थिति में पंजीयन के पांच विषयों में नहीं भरें अन्यथा परीक्षा परिणाम रोक लिया जायेगा।
- भाषा का तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं। अतिरिक्त विषय में टी.ओ.सी. नहीं मिलेगी।
- टी.ओ.सी. का लाभ लेने के लिए मूल अंकतालिका संलग्न करें।
- अंकों में सुधार के लिये मूल अंकतालिका तथा माइग्रेशन आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा पूर्व में उत्तीर्ण किये गये विषयों में ही पंजीकरण करवायें।
- मार्च–मई 2015 में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आगामी मार्च–मई 2016 एवं अक्टू–नव. 2016 में होने वाली परीक्षा में केवल 4 विषयों की ही परीक्षा देंगे। पंजीकरण में लिए गये पांचवे विषय की परीक्षा के लिए मार्च–मई 2017 में परीक्षा आवेदन पत्र भरें।
- आर.एस.ओ.एस. तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से मान्यता प्राप्त बोर्डों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अंकों में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- अभ्यर्थी का नाम, फोटो, माता–पिता का नाम, आवेदन–पत्र के साथ लगाये।
- आंशिक प्रवेश/दोहरा नामांकन में कम से कम एक व अधिकतम चार विषय ले सकते हैं। उत्तीर्ण विषयों में आंशिक प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- 10वीं कक्षा में आंशिक/दोहरा नामांकन लेने हेतु 10वीं उत्तीर्ण अंकतालिका की सत्यापित प्रति आवश्यक है।
- 12वीं में आंशिक/दोहरा नामांकन लेने हेतु 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण अंकतालिका की सत्यापित प्रति आवश्यक है।
- पुनः प्रवेश हेतु (2005 से 2010 तक के आर.एस.ओ.एस. में पंजीकृत अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी) अधिकतम चार उत्तीर्ण विषयों में टी.ओ.सी. ले सकते है।
- परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अग्रेंजी में से एक ही होगा।

सन्दर्भ केन्द्र प्रभारियों के लिए निर्देश

प्रवेश प्रक्रिया एवं शुल्क संरचना

राज्य में फैले 442 सन्दर्भ केन्द्रों (A.I's) के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। पंजीकरण का कार्य 1 जुलाई से प्रारम्भ किया जाता है।

एक बार चयनित सन्दर्भ केन्द्र (A.I's) में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, इसलिए आप अपना सन्दर्भ केन्द्र बहुत ध्यान से चुनें।

पंजीकरण हेतु प्रवेश की तिथियाँ

आवेदकों के पंजीकरण हेतु प्रवेश की तिथियाँ सभी सन्दर्भ केन्द्रों पर निम्नलिखित हैं:

- 01 जुलाई, 2015 से 17 अगस्त, 2015 तक (बिना विलम्ब शुल्क)
- 18 अगस्त, 2015 से 15 सितम्बर, 2015 तक (250/– रु. विलम्ब शुल्क सहित)
- 16 सितम्बर, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक (350/– रु. विलम्ब शुल्क सहित)
- 01 अक्टूबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 तक (500/– रु. विलम्ब शुल्क सहित)

नोट :–

(i) 31 अक्टूबर, 2015 के बाद किसी भी अभ्यर्थी का सत्र 2015–16 के लिए आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ii) सार्वजनिक अवकाश, रविवार होने पर अगला कार्य दिवस स्वतः ही अन्तिम तिथि के रूप में मान्य होगा।

प्रवेश के लिए योग्यताएँ

	माध्यमिक पाठ्यक्रम	उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम
(क) आयु	01 जुलाई, 2015 को 14 वर्ष (01.07.2001 को अथवा उसके पहले जन्म) अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं	01 जुलाई, 2015 को 15 वर्ष (01.07.2000 को अथवा उसके पहले जन्म) अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं
(ख) सहायक दस्तावेज	(i) निगम के अधिकारी अथवा जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी मूल जन्म प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति अथवा (ii) पिछले विद्यालय से प्राप्त मूल स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र/मूल माइग्रेशन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदक की जन्म–तिथि लिखी हो। (कक्षा 10 में प्रवेश के लिए सरकारी विद्यालय होने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि निजी विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों की टी.सी. इस कार्य हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के किसी भी निजी विद्यालय द्वारा जारी मूल टी.सी. पर मान्यता सम्बन्धी विभागीय आदेशों का पूर्ण एवं स्पष्ट क्रमांक व सेमिस कोड नम्बर अंकित होना चाहिए) अथवा	(i) कसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक/हाई स्कूल परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। उच्च माध्यमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु का कोई भी अन्य प्रमाण मान्य नहीं होगा। (ii) पिछले विद्यालय से प्राप्त मूल स्थान्तरण प्रमाण पत्र/माइग्रेशन की सत्यापित प्रति। कक्षा 12 वीं में प्रवेश के लिए सरकारी विद्यालय होने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए जबकि निजी विद्यालय एवं राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों की टी.सी. इस कार्य हेतु अधिकृत सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

	(iii) राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि व शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र। **अथवा** (iv) अनाथ/फुटपाथ पर रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए चिकित्साविधि प्रमाण–पत्र, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा तष्दीक शपथ–पत्र मान्य होगा।	(iii) राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज., अजमेर से जारी पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज.अजमेर द्वारा ही सत्यापन कर प्रस्तुत करें।
(ग) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	नवीं कक्षा तक कोई भी कक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण तथा माध्यमिक कक्षा अनुत्तीर्ण अथवा स्व–प्रमाणपत्र (आवेदन–पत्र के पृष्ठ भाग अनुसार)	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र।

नोट :–

- आवेदन पत्र के साथ माँगे गए सारे दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और फीस लौटाई नहीं जाएगी।
- आवेदन पत्र में लिखी जन्म–तिथि में बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अतः सही जन्मतिथि जांच कर लिखें।
- यदि माध्यमिक परीक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण नहीं की है (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर देखें) तो उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रवेश के लिए पते का प्रमाण अनिवार्य है, दूरभाष नम्बर या मोबाईल नम्बर (यदि हों तो) अवश्य देवें।
- अभ्यर्थी आवेदन–पत्र के पीछे दिये हुए स्व–प्रमाण–पत्र तथा पात्रता की घोषणा की पूर्ती कर हस्ताक्षर करेगें।

शुल्क विवरण

क्र.सं.	शुल्क विवरण	माध्यमिक पाठ्यक्रम	उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम
1	सामान्य वर्ग हेतु (प्रवेश शुल्क)	रु.1450/–	रु.1700/–
2	छूट वाले वर्ग हेतु (प्रवेश शुल्क)	रु.1225/–	रु.1475/–
3	पुनः प्रवेश हेतु (क) पंजीकरण शुल्क (ख) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)	 रु.250/– रु.280/–	 रु.250/– रु.340/–
4	आंशिक प्रवेश/दोहरा नामांकन हेतु (क) पंजीकरण शुल्क (ख) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)	 रु.250/– रु.280/–	 रु.250/– रु.340/–
5	क्रेडिट स्थानान्तरण (टी.ओ.सी.) शुल्क (प्रति विषय)	रु.100/–	रु.100/–
6	प्रायोगिक विषय शुल्क (प्रति विषय)	रु.120/–	रु.120/–
7	कम्प्यूटरीकरण व पहचान पत्र शुल्क	रु.10/–	रु.10/–
8	अग्रेषण शुल्क	रु.35/–	रु.35/–

नोट :–

- महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को **पुनः पंजीयन के समय पंजीकरण शुल्क** में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जिसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- प्रथम पंजीयन वर्ष में अभ्यर्थी ने यदि सैद्धान्तिक के साथ–साथ प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय लिए हों तो उनके लिए रु. 60/– प्रति विषय व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम के लिए एवं रु. 60/– प्रति विषय प्रायोगिक परीक्षा के लिए इस प्रकार कुल 120/– रु. प्रति विषय अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- उपरोक्त तालिका के अनुसार शुल्क वसूल करें तथा अभ्यर्थियों को शुल्क की रसीद अवश्य दें।

सन्दर्भ केन्द्र प्रभारियों हेतु निर्देश
शुल्क भेजने के सम्बन्ध में

1. उपरोक्त तिथियों प्राप्त आवेदन–पत्रों की शुल्क का इंद्राज आवेदन–पत्र में पीछे के पृष्ठ पर निर्धारित कालम में आवश्यक रूप से भरे इसे खाली नहीं छोड़े।
2. प्राप्त फीस खाते में ही जमा करावें डी.डी. द्वारा फीस नहीं भिजवाई जावे।
3. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त प्रकार का शुल्क निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के बचत खाता संख्या 61225550375 (IFSC Code SBBJ0010847 शाखा SBBJ शिक्षा संकुल जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर) में सीधे ही अंतिम तिथियों के अगले दिन ही आपके खाते से हस्तानान्तरित की जावे तथा शुल्क विवरण अलग–अलग तिथि अनुसार (परिशिष्ट 15 अ, ब तथा 17) यथाशीघ्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर कार्यालय को भेजे।

प्रवेश शुल्क में छूट का विवरण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर में प्रवेश हेतु जेल सहवासी (Jail Inmates) के लिए समस्त शुल्क माफ एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क राशि में रु. 225/– की छूट दी जायेगी। छूट प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक और विकलांग व्यक्ति **तालिका–3** में दिये अनुसार आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न करें:–

तालिका 3 : छूट प्राप्त वर्ग के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज

श्रेणी	संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
1. महिला वर्ग	–
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	• आयुक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, उपखण्ड अधिकारी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार (जिन्हें सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त हो) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. विकलांग अभ्यर्थी	• विकलांगता का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विकलांगता के राजकीय विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए जिसमें विकलांगता की प्रकृति और स्थिति स्पष्ट रूप से लिखी गई हो।
4. भूतपूर्व सैनिक	• नियोक्ता का प्रमाण–पत्र
5. जेल सहवासी	• केन्द्रीय कारागृह अधीक्षक द्वारा जारी पत्र की मूल प्रति

अन्य सार्वजनिक परीक्षा के शुल्क सम्बन्धी विवरण

प्रथम पंजीकरण सत्र की परीक्षा होने के पश्चात् अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं में विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय चाहता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी को परीक्षा आवेदन–पत्र भरकर निम्नलिखित **तालिका–4** अनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।

तालिका 4 : विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क का विवरण

क्र.सं.	परीक्षा शुल्क	माध्यमिक (प्रति विषय)	उच्च माध्यमिक (प्रति विषय)
1	विषय परिवर्तन/अति. विषय हेतु शुल्क	रु. 280/–	रु. 340/–
2	सैद्धान्तिक परीक्षा शुल्क	रु. 150/–	रु. 150/–
3	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क	रु. 60/–	रु. 60/–
4	अग्रेषण शुल्क (प्रति अभ्यर्थी)	रु. 5/–	रु. 5/–

नोट :–

(i) परीक्षा शुल्क सभी अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाना अनिवार्य है।

(ii) प्रथम पंजीकरण सत्र की परीक्षा होने के पश्चात् आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा हेतु मात्र रु. 150/– प्रति विषय माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शुल्क देना होगा। माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रायोगिक विषय में प्रायोगिक शुल्क रु. 60/– प्रति विषय अतिरिक्त देना होगा और उच्च माध्यमिक स्तर के अभ्यर्थी को प्रायोगिक परीक्षा देने पर केवल प्रायोगिक का शुल्क तथा सैद्धान्तिक परीक्षा देने पर केवल सैद्धान्तिक परीक्षा का शुल्क देना होगा।

परिशिष्ट–15 के साथ भेजा जाने वाला प्रपत्र

सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी पंजीयन से प्राप्त फीस का विवरण (लेखा अनुभाग)

सन्दर्भ केन्द्र नाम.. सन्दर्भ केन्द्र का कोड ....सत्र...................

1		शुल्क	अभ्यर्थियों की संख्या	कुल प्राप्त राशि
2	पंजीकरण शुल्क			
(i)	माध्यमिक (सामान्य वर्ग)	1450 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
(ii)	छूट वाले वर्ग के लिए	1225 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
(iii)	उच्च माध्यमिक (सामान्य वर्ग)	1700 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
(iv)	छूट वाले वर्ग के लिए	1475 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
3	क्रेडिट स्थानान्तरण शुल्क	100 / –	टी.ओ.सी. विषय की संख्या	
4	कम्प्यूटर शुल्क	10 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
5	शुल्क अतिरिक्त विषय			
(i)	माध्यमिक	280 / –	अतिरिक्त विषयों की संख्या	
(ii)	उच्च माध्यमिक	340 / –	अतिरिक्त विषयों की संख्या	
6	प्रायोगिक शुल्क	60 / –	प्रायोगिक विषयों की संख्या	
7	प्रायोगिक विषय का पीसीपी शुल्क	60 / –	प्रायोगिक विषयों की संख्या	
8	दोहरा नामांकन का पंजीयन शुल्क	250 / –	छात्रों की संख्या	
9	दोहरा विषयों की संख्या			
(i)	माध्यमिक	280 / –	विषयों की संख्या	
(ii)	उच्च माध्यमिक	340 / –	विषयों की संख्या	
10	पुनः प्रवेश शुल्क			
(i)	पंजीयन शुल्क	250 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
(ii)	टी.ओ.सी. शुल्क	100 / –	विषयों की संख्या	
(iii)	परीक्षा शुल्क माध्यमिक	280 / –	विषयों की संख्या	
(iv)	परीक्षा शुल्क उच्च माध्यमिक	340 / –	विषयों की संख्या	
11	विलम्ब शुल्क	250 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
		350 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
		500 / –	अभ्यर्थियों की संख्या	
			कुल योग	

नोटः– बिना विलम्ब शुल्क एवं विलम्ब शुल्क के लिए परिशिष्ट–17 अलग–अलग भरें।

खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण राशि .... दिनांक ....

हस्ताक्षर आर.एस.ओ.एस. प्रभारी

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील